रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022020-216077 CG-DL-E-11022020-216077

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 583] No. 583] नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 10, 2020/माघ 21, 1941 NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 10, 2020/MAGHA 21, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 2020

का.आ. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) केन्द्रीय नियम, 1998 के नियम 10 और नियम 11 के साथ पठित भवन और अन्य सिन्नर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1450 (अ), तारीख 9 मई, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक 3 और 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टयों को रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3)	श्री एन.रेड्डीयप्पा,	- सदस्य
	संसद सदस्य (लोक सभा),	(संसद सदस्य)
	नई दिल्ली ।	
(4)	श्री गणेश सिंह	- सदस्य
	संसद सदस्य (लोक सभा),	(संसद सदस्य)"।
	नई दिल्ली ।	,

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 9 मई, 2017 का.आ. 1450(अ), तारीख 9 मई, 2017 में प्रकाशित की गई थी।

[फा. सं. जेड-2011/10/2015-बीएल] अजय तिवारी, संयक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February, 2020

S.O. 636(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with rule 10 and rule 11 of the Building and Other Construction Workers' (Regulation of Employment and Conditions of Service) Central Rules, 1998, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1450(E), dated the 9th May, 2017, with effect from the date of publication of this notification, namely:—

In the said notification, for serial number 3 and 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely: —

"(3)	Shri N. Reddeppa, Member of Parliament (Lok Sabha), New Delhi	- Member (Member of Parliament)
(4)	Shri Ganesh Singh, Member of Parliament (Lok Sabha), New Delhi	- Member (Member of Parliament)".

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 9th May, 2017 vide number S.O. 1450(E), dated 9th May, 2017.

[F. No. Z-2011/10/2015-BL]

AJAY TEWARI, Jt. Secy.